

मांग संख्या 30
मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 1

जल ग्रहण क्षेत्र विकास प्रकोष्ठ योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 0.10 लाख का व्यय संभावित है जो विभागीय बचत से किया जावेगा । चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति शीर्ष खोलने हेतु रूपये 100 का सांकेतिक प्रावधान किया जाना है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2-3

सूखा उन्मूलन क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जल ग्रहण क्षेत्रों के विकास एवं अन्य गतिविधियों हेतु रूपये 265.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4-5

सूखा उन्मूलन क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पड़त भूमि के विकास योजना के अंतर्गत राज्यांश राशि के रूप में रूपये 146.99 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,46,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2505

मद क्रमांक 6-30

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वेतन, भत्तों एवं कार्यालय व्यय पर रूपये 21.62 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 21,62,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 31-32

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्यांश के रूप में रूपये 1500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।